प0सं0–14/डी0एल0ए0, कटिहार (महानंदा तटबंध)–181/2013–2845/रा0, पटना–15, दिनांक–10/12/2013

बिहार सरकार

(राजस्व विभाग भू–अर्जन शाखा)

।। अधिसूचना ।।

संख्या .... पटना, दिनांक..................

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– विशुनपुर, थाना– कदवा, थाना नं. – 320 परगना– कदवा, जिला– कटिहार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोशी योजना अन्तर्गत महानन्दा दायां तटबंध के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– विशुनपुर, थाना– कदवा, थाना नं.– 320 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वेश 2.15 एकड़ बंजर भूमि × कर्षणीय भूमि– 2.15 एकड़ कुल– 2.15 एकड़ के बराबर होता है, और जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :– 32,35,41,36,37,38,39,40 एवं 43

तथा जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर : सीमा रेखा ग्राम– हरिपुर

पूरब : खेसरा संख्या : 32,41,40 एवं 43

दक्षिण : सीमा रेखा ग्राम– शाहनगर

पश्चिम : खेसरा संख्या 32,35,36,37,38 एवं 39

अधिसूचना अधिनियम, 1 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम, 11 जुन संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकेगा। अपर समाहर्त्ता, कटिहार विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कोशी योजना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4क की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित याविनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि में 2.15 एकड़ भूमि कृषियोग्य तथा × एकड़ भूमि बंजर है तथा उसका/उनका तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 4 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा	अपर समाहर्त्ता कटिहार	समाहर्त्ता कटिहार	आयुक्त पूर्णिया	सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 2845 /रा0/पटना, दिनांक– 10-12-13 /

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य प्रशाखा जिला गजट प्रकाशन शाखा, कटिहार को जिला के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी दस अतिरिक्त प्रतियां विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।

(2) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती है।

(3) निदेशक, भू–अर्जन एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।